परिपत्र संख्या-स0द0/25-क/ ---- /कम्प्यूटर परि0सं0- 2122002 / 32 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 13 अप्रैल, 2021

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),

असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (सचलदल),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:-परिवहन के दौरान माल एवं वाहन के डिटेंशन, अवमुक्त एवं जब्त किए जाने के सम्बन्ध में।

30प्र0 माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'प्रान्तीय अधिनियम' कहा गया है) की धारा-68 एवं 30प्र0 माल और सेवाकर नियमावली, 2017 (जिसे आगे 'प्रान्तीय नियमावली' कहा गया है) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किसी माल का परिवहन करते पाए जाने पर प्रान्तीय अधिनियम की धारा-129 के अन्तर्गत सचलदल इकाइयों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-स0द0/2021007 दिनांक 09-07-2020 से विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

2. प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा रुपया पचास हजार से अधिक मूल्य के कन्साइनमेण्ट का प्रेषण करने पर प्रान्तीय नियमावली के नियम-138 के अन्तर्गत विहित रीति से आनलाईन ई-वेबिल-01 जनरेट किया जाना आवश्यक है। संज्ञान में आया है कि किसी विक्रेता द्वारा किसी क्रेता को रुपया पचास हजार से अधिक मूल्य के कन्साइनमेण्ट का प्रेषण करते समय ई-वेबिल-01 जनरेट किए जाने की अनिवार्यता से बचने हेतु उस बिक्रेता द्वारा एक ही क्रेता के नाम रुपया पचास हजार से कम मूल्य के एकाधिक टैक्स इनवायस जारी किए जाते हैं। ऐसे मामलों में धारा-129 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही में फील्ड स्तर पर एकरुपता नहीं है।

3. प्रान्तीय अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, शीघ्र नाशवान अथवा खतरनाक प्रकृति अथवा समय के साथ मूल्य में ह्रास होने वाले माल के, परिवहन के मामलों में धारा-129 की उपधारा (1) के अन्तर्गत डिटेंशन आदेश पारित किए जाने के दिनॉक से देय कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करने हेतु 14 दिन की विनिर्दिष्ट अवधि को प्रॉपर आफीसर द्वारा धारा-129 की उपधारा (6) के प्रतिबंधात्मक खण्ड में निहित प्रावधानों के अनुसार कम किया जा सकता है। ऐसे मामलों में नियत अवधि के अन्दर कराधेय व्यक्ति द्वारा नियम-141(1) के अन्तर्गत भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर प्रॉपर आफीसर द्वारा उक्त श्रेणी के माल का निस्तारण नियम-141(2) की व्यवस्था के अन्तर्गत किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि को जमा करने तथा ऐसे माल पर देय कर, ब्याज, अर्थदण्ड, अथवा अन्य कोई देय प्रभार के समायोजन की कार्यवाही में भी फील्ड स्तर पर एकरुपता नहीं है।

4. उक्त दोनों प्रकार के मामलों में फील्ड स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रान्तीय अधिनियम की धारा-168 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं -

i. किसी विक्रेता द्वारा एक ही क्रेता को रुपया पचास हजार से अधिक मूल्य के कन्साइनमेण्ट के प्रेषण हेतु रुपया पचास हजार से कम मूल्य के एक से अधिक इनवायस जारी करने पर ई-वेबिल-01 जनरेट किए जाने की विधिक अनिवार्यता का प्रश्न सर्वश्री बॉन कार्गोस प्रा0लि0 बनाम कमिश्नर, राज्य कर, केरल एवं अन्य के मामले में (रिट पिटीशन संख्या-1735/2020 एवं 1736/2020) मा0 उच्च न्यायालय, केरल की खण्डपीठ के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत हुआ था। मा0 उच्च न्यायालय, केरल द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 01-10-2020 में उक्त विधिक अनिवार्यता के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है -

"But when goods of the same consignment covered by multiple invoices exceed the limit of Rs.50000/-, necessarily there should be generation of e-way bill. Otherwise the mandate for generation of an e-way bill would be defeated and rendered redundant enabling the consignor to issue any number of bills having value below Rs.50000/- and consign them in one vehicle. The consignment value is that shown in the invoice. When goods of the same consignor covered by different invoices are consigned together in one vehicle; the value will be that in the multiple invoices. We are hence not satisfied that the detention was without jurisdiction."

मा0 उच्च न्यायालय, केरल की खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के आलोक में किसी बिक्रेता द्वारा एक ही क्रेता को रु0 50000/- से अधिक मूल्य के कन्साइनमेण्ट को एक ही वाहन में प्रेषण करते समय रु0 50000/- से कम मूल्य की कई इनवाइस बनाते हुए ई- वेबिल-01 जनरेट न किये जाने को नियम 138 का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार धारा-129 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

ii(a). शीघ्र नाशवान अथवा खतरनाक प्रकृति अथवा समय के साथ मूल्य में ह्रास होने वाले माल का निस्तारण नियम-141(2) के अन्तर्गत किये जाने पर प्राप्त धनराशि का एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा सम्बंधित प्रापर आफीसर के पदनाम से बनवाया जायेगा।

ii(b). नियम 141(2) के अन्तर्गत निस्तारित माल से प्राप्त धनराशि सम्बंधी एफ.डी.आर. के विवरण की प्रविष्टि एक अलग रजिस्टर में करते हुए एफ.डी.आर. की मूल प्रति सम्बंधित प्रापर आफीसर द्वारा सुरक्षित ढंग से कार्यालय में रखवायी जायेगी एवं छाया प्रति सम्बंधित पत्रावली पर रक्षित की जायेगी।

ii(c). शीघ्र नाशवान अथवा खतरनाक प्रकृति अथवा समय के साथ मूल्य में ह्रास सम्बन्धी माल को नियम 141 के उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) के अन्तर्गत निस्तारण के पश्चात प्राथमिकता के आधार पर न्याय निर्णयन आदेश पारित करते हुए कराधेय व्यक्ति द्वारा भुगतान की गयी धनराशि अथवा निस्तारण से प्राप्त धनराशि का समायोजन उक्त श्रेणी की वस्तुओं पर देय कर, ब्याज, अर्थदण्ड, अथवा अन्य किसी देयकों के विरुद्ध किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13/4/2021

(मिनिस्ती एस.)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0 प0 सं0 दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि डिप्टी कमिश्नर(आई0टी0) वा0णिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेब साइट पर सुसंगत मेन्यू पर अपलोड कराने हेतु।

(अशोक कुमार सिंह)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (सचल दल) वाणिज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।